

हाईस्कूल परीक्षा

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,

~~आदर्श श्री बासुदेव उमा विद्यालय,
गुतवन, जौनपुर।~~

पत्रांक: मा०शि०प०/मान्यता/वाराणसी/

1456

/दिनांक: 26-10-02

विषय: ~~सीधे~~/हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिए शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था आदर्श श्री बासुदेव उमा विद्यालय, गुतवन, जौनपुर को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2004 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) वित्त विहीन मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:-

सामान्य प्रतिबन्ध

- 1-- प्रबन्धतंत्र कक्षा 9 की कक्षाएँ संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराये।
- 2-- इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 9 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय। अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- 3-- साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय।
- 4-- इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने श्रोतों से व्यवस्था के लिए संस्था उत्तरदायी होगी।
- 5-- विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धतंत्र द्वारा अपने श्रोतों से की जाय।
- 6-- नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे।

विशेष प्रतिबन्ध

- क-- संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता संबंधी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।
ख--

टिप्पणी-- इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति छः माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव

18/10/02

पृष्ठांकन संख्या: मा०शि०प०/मान्यता/

/दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर।
- 2- सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी।
- 3- हाईस्कूल परीक्षा संस्थागत अनुभाग वाराणसी।
- 4- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्यालय, इलाहाबाद

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।